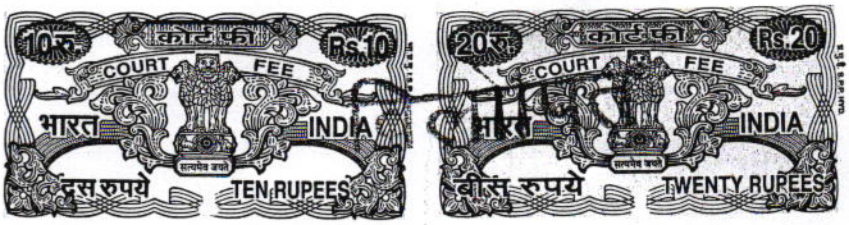

समक्ष माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

हरिशचंद उर्फ हरीचन्द्र तनय गोकल गड़रिया

निवासी मोंची तहसील जतारा

जिला टीकमगढ़ (म०प्र०)

..........आवेदक

//विरूद्ध//

1. कम्मौदा तनय मकुन्दी गड़रिया
2. ग्यादीन तनय मकुन्दी गडरिया
3. बीरन तनय मकुन्दी गड़रिया

निवासी मोंची तहसील जतारा,

जिला टीकमगढ़ (म०प्र०)

..........अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत् धारा–50 म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त आवेदक ने न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड जतारा जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) के राजस्व प्रकरण क्रमाँक 14/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 31–12–2015 में पारित आदेश के विरूद्ध परिवेदित होकर यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता है:–

1. यह कि, प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादित भूमि आवेदक के दादा मुन्ना तनय हजारी गडरिया के फौत हो जाने पर उनके खाते की कृषि भूमि खसरा नंबर 857, 858, 859, 863 रकवा 1.793 हे0 के हिस्सा 1/2 भाग का एवं खसरा नंबर 1155, 1156, 1166, 1167 रकवा 2.947 हे. के हिस्सा 122 भाग का तथा ख.नं. 861 रकवा 0.372 हे0 के हिस्सा 1/4 भाग स्थित ग्राम मोंची पर फौती के नामांतरण को असत्स एवं फर्जी सिजरा के आधार पर दिनांक 16.09.1992 को प्रस्तावित किया जिस पर दिनांक 24.10.1992 को प्रस्तावित किया जिस पर दिनांक 24.10.1992 को प्रस्तावित किया जिस पर दिनांक 24.10.1992 को राजस्व निरीक्षक जतारा द्वारा प्रमाणीकर किया गया, जिससे व्यथित होकर आवेदक द्वारा अपील प्रस्तुत किए जाने पर उसे समय सीमा के बिंदु पर ही निरस्त किए जाने से यह निगरानी विधिवत रूप से प्रस्तुत की जा रही है।

2. यह कि, आलोच्य आदेश प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य एवं व्याप्त कानूनी सिद्धांतो के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त किए जाने है।

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R-550/II/16..... जिला .....टीकमगढ़.....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-2-16	1— आवेदक के अधिवक्ता श्री अजय श्रीवास्तव उपस्थित उनके द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किए। 2— मैंने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जतारा जिला टीकमगढ़ म.प्र. के राजस्व प्रकरण क्र. 14/अपील/2015—16 में पारित आदेश दिनांक 31.12.2015 के विरूद्व म.प्र. भू.रा. संहिता 1959 की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गयी है। 3— आवेदक की ओर से तर्क में कहा गया है कि विचारण न्यायालय द्वारा विवादित भूमि स्थित ग्राम मांची का प्रमाणीकरण फर्जी सिंजरा के आधार पर करते हुए नामांतरण पंजी क्र.47 पर आदेश दि. 24.10.1992 को पारित किया गया। जिसकी जानकारी उपरांत विधिवत अपील अनुविभागीय अधिकारी जतारा के समक्ष प्रस्तुत की गई थी जिसका निराकरण गुणदोषो पर किए बिना ही प्रकरण निरस्त किए जाने से यह निगरानी की है अतएव उन्होंने पारित आदेश निरस्त किए जाने का अनुरोध किया हैं। 4— उनका यह भी तर्क है कि आवेदक एक मात्र पुत्र का पुत्र एवं वारिस है जो विवादित भूमि का स्वत्वधारी है अनावेदकगण आवेदक के पिता गोकुल तनय पुन्ना की संतान नहीं है उत्तरवादी महिला नुनिया पति मकुन्दी गडरिया के वारिस है मतदाता सूची में कमोद ग्यादीन वीरन तनय मकुन्दी का नाम लेख है इस प्रकार फर्जी सिंजरा के आधार पर नामांतरण आदेश पारित किया गया था। इस कारण समयसीमा महत्वपूर्ण न होने से पारित दोनों आदेश निरस्त किए जाने का अनुरोध किया है। 5— आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश एवं प्रस्तुत दस्तावेज तथा न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया अनुविभागीय अधिकारी जतारा द्वारा प्रकरण का निराकरण गुणदोषों पर न करते हुए आवेदक का आवेदन निरस्त किया है जबकि	

[कृ. प. उ.

R 550-II/16 (रा.न.मा.16)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	विचाराधीन प्रकरण में इस तथ्य की जांच की जाना आवश्यक है की विवादित भूमि पर कब्जा एवं वारिस कौन–कौन है विचारण न्यायालय द्वारा फौती दर्ज कर नामांतरण की कार्यावाही की गई जो वैद्यानिक प्रक्रिया के अभाव में न्यायसंगत नहीं पाता हूँ। और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण समयसीमा पर निराकृत किया है इस कारण अनुविभागीय द्वारा पारित आदेश 31.10.15 एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.10.1992 वैद्य नहीं पाता हूँ। 6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रकरण तहसीलदार जतारा को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि आवेदक एवं अनावेदक गण को सुनवाई का अवसर देते हुए कब्जा एवं वारसान की जॉच कर उभयपक्षों के साक्ष्य एवं प्रति परीक्षण उपरांत प्रकरण का पुनः निराकरण करे। तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता है प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	